



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-22022025-261214
CG-MH-E-22022025-261214

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 108]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 20, 2025/फाल्गुन 1, 1946

No. 108]

NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 20, 2025/PHALGUNA 1, 1946

परमाणु ऊर्जा विभाग

अधिसूचना

मुंबई, 20 फरवरी, 2025

सा.का.नि. 142 (अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा परमाणु ऊर्जा विभाग (क्रय एवं भंडार) भर्ती नियम 2013 को जहाँ तक उसका संबंध क्रय अधिकारी, भंडार अधिकारी, उप निदेशक, क्रय एवं भंडार के पदों से है और परमाणु ऊर्जा विभाग (क्रय एवं भंडार) भर्ती नियम 2019 को जहाँ तक उसका संबंध कनिष्ठ क्रय सहायक और कनिष्ठ भंडारी के पदों से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, परमाणु ऊर्जा विभाग में कनिष्ठ क्रय सहायक, कनिष्ठ भंडारी, क्रय अधिकारी, भंडार अधिकारी, उप निदेशक, क्रय एवं भंडार तथा संयुक्त निदेशक, क्रय एवं भंडार के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्: -

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम परमाणु ऊर्जा विभाग (क्रय एवं भंडार), समूह 'ग' और 'क' भर्ती नियम, 2025 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. आवेदन - ये नियम इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में यथा विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।

3. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर – उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में उसका स्तर वह होगा जो इन नियमों में उपाबद्ध उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएँ, आदि - उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएँ और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. निरर्हता - वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की,

उक्त पदों पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. प्रारंभिक गठन - संयुक्त निदेशक, क्रय एवं भंडार का पद धारण करने वाले पदधारियों को इन नियमों के उपबंधों के अनुसार नियुक्त हुआ माना जाएगा और उनकी नियमित और निरंतर सेवा को परिवीक्षा, प्रोन्नति, पुष्टिकरण और पेंशन के लिए अर्हक सेवा के प्रयोजन के लिए गिना जाएगा।

7. शिथिल करने की शक्ति - जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

8. व्यावृत्ति - इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन अथवा अ-चयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. कनिष्ठ क्रय सहायक।	100* (2025) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (25500-81100 रुपये)।	लागू नहीं होता।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।
(6)	(7)
18 से 27 वर्ष के बीच। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के	आवश्यक: (क) 60 प्रति शत अंकों के साथ विज्ञान में स्नातक; या

<p>अनुसार विभागीय अभ्यर्थी के लिए ऊपरी आयु सीमा में चालीस वर्ष तक की छूट हो सकती है)</p> <p>टिप्पण 1: आयु-सीमा अवधारित करने की निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने की नियत की गई अंतिम तारीख न कि वह अंतिम तारीख होगी जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिला और चंबा जिले का पांगी उप-मंडल और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लद्दाख और लक्षद्वीप के संघ राज्यक्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।</p>	<p>(ख) 60 प्रति शत अंकों के साथ वाणिज्य स्नातक; या</p> <p>(ग) 60 प्रति शत अंकों के साथ सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से यांत्रिक इंजीनियरिंग या विद्युत इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा।</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।</p>	<p>परीवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।</p>	<p>भर्ती की पद्धति - भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशतता।</p>
(8)	(9)	(10)
<p>लागू नहीं होता।</p>	<p>एक वर्ष।</p> <p>टिप्पण: मेडिकल परीक्षा पूरी होने पर, चयनित अभ्यर्थियों को छह मास की अवधि के लिए वृत्ति भोगी प्रशिक्षु के रूप में शामिल किया जाएगा। वृत्ति भोगी बिना किसी भत्ते के वेतन मैट्रिक्स के स्तर-4 (25500-81100 रुपये) में न्यूनतम वेतन के बराबर नियत राशि होगी और प्रशिक्षण के सफल समापन पर, प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण की अवधि के दौरान प्रदर्शन के आधार पर कनिष्ठ क्रय सहायक के पद पर आमेलन के लिए विचार किया जाएगा।</p>	<p>सीधी भर्ती द्वारा।</p>

<p>प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।</p>	<p>यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।</p>	<p>भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।</p>
(11)	(12)	(13)
<p>लागू नहीं होता।</p>	<p>समूह 'ग' विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:</p> <p>(1) उप निदेशक, क्रय एवं भंडार</p>	<p>लागू नहीं होता।</p>

	<p>निदेशालय - अध्यक्ष</p> <p>(2) उप लेखा नियंत्रक या लेखा अधिकारी, क्रय एवं भंडार निदेशालय - सदस्य;</p> <p>(3) क्रय अधिकारी, क्रय एवं भंडार निदेशालय - सदस्य;</p> <p>(4) भंडार अधिकारी, क्रय एवं भंडार निदेशालय - सदस्य;</p> <p>(5) प्रशासनिक अधिकारी - III, क्रय एवं भंडार निदेशालय सदस्य; और</p> <p>(6) परमाणु ऊर्जा विभाग की संघटक इकाइयों में से एक वैज्ञानिक अधिकारी या इंजीनियर ग्रेड 'डी' या उससे ऊपर - सदस्य।</p>	
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2. कनिष्ठ भंडारी।	220* (2025) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीया।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (25500-81100 रुपये)।	लागू नहीं होता।

(6)	(7)
<p>18 से 27 वर्ष के बीच।</p> <p>(केंद्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यर्थी के लिए ऊपरी आयु सीमा में चालीस वर्ष तक की छूट हो सकती है)</p> <p>टिप्पण 1: आयु-सीमा अवधारित करने की निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने की नियत की गई अंतिम तारीख होगी, न कि वह अंतिम तारीख होगी जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिला और चंबा जिले का पांगी उप-मंडल और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लद्दाख और लक्षद्वीप के संघ राज्यक्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।</p> <p>टिप्पण 2.- रोजगार कार्यालय के माध्यम से की गई भर्ती के मामले में आयु-सीमा अवधारित करने के लिए</p>	<p>आवश्यक:</p> <p>(क) 60 प्रति शत अंकों के साथ विज्ञान में स्नातक; या</p> <p>(ख) 60 प्रति शत अंकों के साथ वाणिज्य स्नातक; या</p> <p>(ग) 60 प्रति शत अंकों के साथ सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से यांत्रिक इंजीनियरिंग या विद्युत इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा।</p>

निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तारीख तक रोजगार कार्यालय को नाम जमा करने के लिए कहा गया है।	
----------------------------------------------------------------------------------------------------	--

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	<p>एक वर्ष।</p> <p>टिप्पण: मेडिकल परीक्षा पूरी होने पर, चयनित अभ्यर्थियों को छह मास की अवधि के लिए वृत्ति भोगी प्रशिक्षु के रूप में शामिल किया जाएगा। वृत्ति बिना किसी भत्ते के वेतन मैट्रिक्स के स्तर-4 (25500-81100 रुपये) में न्यूनतम वेतन के बराबर नियत राशि होगी और प्रशिक्षण के सफल समापन पर, प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण की अवधि के दौरान प्रदर्शन के आधार पर कनिष्ठ भंडारी के पद पर आमेलन के लिए विचार किया जाएगा।</p>	सीधी भर्ती द्वारा।

(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	<p>समूह 'ग' विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:</p> <p>(1) उप निदेशक, क्रय एवं भंडार निदेशालय - अध्यक्ष;</p> <p>(2) उप लेखा नियंत्रक या लेखा अधिकारी, क्रय एवं भंडार निदेशालय - सदस्य;</p> <p>(3) क्रय अधिकारी, क्रय एवं भंडार निदेशालय - सदस्य;</p> <p>(4) भंडार अधिकारी, क्रय एवं भंडार निदेशालय - सदस्य;</p> <p>(5) प्रशासनिक अधिकारी - III, क्रय एवं भंडार निदेशालय - सदस्य; और</p> <p>(6) परमाणु ऊर्जा विभाग की घटक इकाइयों में से एक वैज्ञानिक अधिकारी या इंजीनियर ग्रेड 'डी'</p>	लागू नहीं होता।

	या उससे ऊपर -	सदस्य।	
--	---------------	--------	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3. क्रय अधिकारी।	18*(2025) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीया।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-11 (67700-208700 रुपए)।	चयन।

(6)	(7)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	एक वर्ष।	प्रोन्नति द्वारा ऐसा न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।

(11)	(12)	(13)
<p>प्रोन्नति :</p> <p>वेतन मैट्रिक्स में स्तर-8 (47600-151100 रुपए) में ऐसे सहायक क्रय अधिकारी जिन्होंने उस श्रेणी में छह वर्ष की नियमित सेवा की हो।</p> <p>टिप्पण 1 - प्रोन्नति के लिए पात्रता की अवधि की गणना करने की निर्णायक तारीख रिक्ति वर्ष की 1 जनवरी होगी।</p> <p>टिप्पण 2 - पात्र अधिकारियों को लिखित परीक्षा और उसके बाद साक्षात्कार में उपस्थित होना अपेक्षित है। पैनल में शामिल करने के लिए नामों की सिफारिश करते समय विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों को ध्यान में रखा जाएगा।</p> <p>टिप्पण 3 - प्रोन्नत अधिकारियों को परिवीक्षा अवधि के दौरान प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान, परमाणु ऊर्जा विभाग से प्रशिक्षण प्राप्त करना आवश्यक है।</p> <p>टिप्पण 4 - जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से इनमें से जो</p>	<p>समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:</p> <p>(1.) अपर सचिव / संयुक्त सचिव प्रभारी क्रय एवं भंडार - अध्यक्ष;</p> <p>(2.) निदेशक, क्रय एवं भंडार निदेशालय - सदस्य;</p> <p>(3.) नियंत्रक, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र -सदस्य</p> <p>(4.) अन्य सरकारी विभाग के क्रय एवं भंडार काडर के समूह 'क' के अधिकारी - सदस्य।</p> <p>समूह 'क' विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:</p> <p>(1.) अपर सचिव / संयुक्त सचिव प्रभारी क्रय एवं भंडार - अध्यक्ष;</p> <p>(2.) निदेशक, क्रय एवं भंडार निदेशालय -सदस्य;</p> <p>(3.) नियंत्रक, भाभा परमाणु अनुसंधान</p>	लागू नहीं होता।

<p>भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p>प्रतिनियुक्ति :</p> <p>केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्रों के अधिकारी:</p> <p>(क) (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हो; या</p> <p>(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर - 8 (47600-151100 रूपए) में या समतुल्य में नियमित आधार पर पद पर नियुक्ति के पश्चात् छह वर्ष की नियमित सेवा की हो;</p> <p>(ख) जिसके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हों, अर्थात: -</p> <p>(i) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री; और</p> <p>(ii) मूल काडर या विभाग में प्रापण या सामग्री प्रबंधन में अनुभव।</p> <p>टिप्पण 1 : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p>टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणता तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन की प्राप्ति की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>	<p>केन्द्र - सदस्य</p> <p>(4.) अन्य सरकारी विभाग के क्रय एवं भंडार काडर के समूह 'क' के अधिकारी - सदस्य।</p>	
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4. भंडार अधिकारी।	13*(2025) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-11 (67700-208700 रुपए)।	चयन।

(6)	(7)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	एक वर्ष।	प्रोन्नति द्वारा अन्यथा प्रतिनियुक्ति द्वारा।

(11)	(12)	(13)
<p>प्रोन्नति :</p> <p>वेतन मैट्रिक्स में स्तर-8 (47600-151100 रुपए) में ऐसे सहायक भंडार अधिकारी जिन्होंने उस श्रेणी में छह वर्ष की नियमित सेवा की हो।</p> <p>टिप्पण 1 - प्रोन्नति के लिए पात्रता की अवधि की गणना करने की निर्णायक तारीख रिक्ति वर्ष की 1 जनवरी होगी।</p> <p>टिप्पण 2 - पात्र अधिकारियों को लिखित परीक्षा और उसके बाद साक्षात्कार में उपस्थित होना अपेक्षित है। पैनल में शामिल करने के लिए नामों की सिफारिश करते समय विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों को ध्यान में रखा जाएगा।</p> <p>टिप्पण 3 - प्रोन्नत अधिकारियों को परिवीक्षा अवधि के दौरान प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान, परमाणु ऊर्जा विभाग से प्रशिक्षण प्राप्त करना आवश्यक है।</p> <p>टिप्पण 4 - जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p>प्रतिनियुक्ति :</p> <p>केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र के</p>	<p>समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:</p> <p>(1) अपर सचिव या संयुक्त सचिव प्रभारी क्रय एवं भंडार -अध्यक्ष;</p> <p>(2) निदेशक, क्रय एवं भंडार निदेशालय- सदस्य;</p> <p>(3) नियंत्रक, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र - सदस्य</p> <p>(4) अन्य सरकारी विभाग के क्रय एवं भंडार काडर के समूह 'क' के अधिकारी सदस्य।</p> <p>(5) समूह 'क' विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टिकरण पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:</p> <p>(1) अपर सचिव या संयुक्त सचिव प्रभारी क्रय एवं</p>	लागू नहीं होता।

<p>अधिकारी:</p> <p>(क) (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हो; या</p> <p>(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर - 8 (47600-151100 रुपए) में या समतुल्य में नियमित आधार पर पद पर नियुक्ति के पश्चात छह वर्ष की नियमित सेवा प्रदान की गई हो;</p> <p>(ख) जिसके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखता हो, अर्थात्: -</p> <p>(i) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री, और</p> <p>(ii) मूल काडर या विभाग में प्रापण या सामग्री प्रबंधन में अनुभव।</p> <p>टिप्पण 1 : पोपक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p>टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि, साधारणता तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन की प्राप्ति की तारीख के समापन पर छप्पन वर्ष से अधिक नहीं हो।</p>	<p>भंडार -अध्यक्ष;</p> <p>(2) निदेशक, क्रय एवं भंडार निदेशालय- - सदस्य;</p> <p>(3) नियंत्रक, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र - सदस्य</p> <p>(4) अन्य सरकारी विभाग के क्रय एवं भंडार काडर के समूह 'क' के अधिकारी।</p>	
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5. उप निदेशक, क्रय एवं भंडार।	7*(2025) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-12 (78800-209200 रुपए)।	चयन।

(6)	(7)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रोन्नति द्वारा ऐसा न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।

(11)	(12)	(13)
<p>प्रोन्नति :</p> <p>वेतन मैट्रिक्स में स्तर-11 (67700-208700 रुपए) में ऐसे क्रय अधिकारी या भंडार अधिकारी जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो।</p> <p>टिप्पण 1 - प्रोन्नति के लिए पात्रता की अवधि की गणना करने की निर्णायक तारीख रिक्ति वर्ष की 1 जनवरी होगी।</p> <p>टिप्पण 2 - प्रोन्नति के माध्यम से चयन में अभ्यर्थियों का साक्षात्कार शामिल होगा।</p> <p>टिप्पण 3 - प्रोन्नति अधिकारियों को नियुक्ति पर प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान, परमाणु ऊर्जा विभाग से प्रशिक्षण प्राप्त करना आवश्यक है।</p> <p>टिप्पण 4 - विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा पैनल तैयार करते समय परस्पर वरिष्ठता फीडर कैडर अधिकारियों की पात्रता पर आधारित होगी।</p> <p>टिप्पण 5 - जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p>प्रतिनियुक्ति:</p> <p>(क) वेतन मैट्रिक्स में स्तर-12 (78800-209200 रुपये) में परमाणु ऊर्जा विभाग के ऐसे वैज्ञानिक अधिकारियों या इंजीनियरों के द्वारा; या</p> <p>(ख) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्रों के अधिकारी:</p> <p>(i) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हो; या</p> <p>(ii) जिन्होंने मूल कैडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स स्तर-11 (67700-208700 रुपये) में या समतुल्य में नियमित आधार पर पद पर नियुक्ति के पश्चात् पांच वर्ष की सेवा की हो; और</p>	<p>समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:</p> <p>1) सचिव, परमाणु ऊर्जा विभाग अध्यक्ष;</p> <p>(2) निदेशक, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र – सदस्य;</p> <p>(3) अपर सचिव/संयुक्त सचिव परमाणु ऊर्जा विभाग – सदस्य;</p> <p>(4) निदेशक क्रय एवं भंडार सदस्य;</p> <p>(5) सचिव, परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा नामनिर्दिष्ट संबंधित विषय विशेषज्ञ – सदस्य।</p>	<p>लागू नहीं होता।</p>

<p>(ग) निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखता हो, - अर्थात: -</p> <p>(i) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री, और</p> <p>(ii) मूल काडर या विभाग में प्रापण या सामग्री प्रबंधन में अनुभव।</p> <p>टिप्पण 1 : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p>टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि, साधारणता तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन की प्राप्ति की तारीख के समापन पर छप्पन वर्ष से अधिक नहीं हो।</p>		
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6. संयुक्त निदेशक, क्रय एवं भंडार।	1*(2025) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-13 (123100-215900 रुपए)।	चयन पदा।

(6)	(7)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रोन्नति द्वारा ऐसा न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।

(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति : वेतन मैट्रिक्स में स्तर-12 (78800-209200 रुपए) में ऐसे उप निदेशक (क्रय एवं भंडार) जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष	समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित	लागू नहीं होता।

<p>की नियमित सेवा की हो।</p> <p>टिप्पण 1 - प्रोन्नति के लिए पात्रता की अवधि की गणना करने की निर्णायक तारीख रिक्ति वर्ष की 1 जनवरी होगी।</p> <p>टिप्पण 2 - प्रोन्नति के माध्यम से चयन में अभ्यर्थियों का साक्षात्कार शामिल होगा।</p> <p>टिप्पण 3 - प्रोन्नत अधिकारियों को नियुक्ति पर प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान, परमाणु ऊर्जा विभाग से प्रशिक्षण प्राप्त करना आवश्यक है।</p> <p>टिप्पण 4 - जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p>प्रतिनियुक्ति:</p> <p>(क) वेतन मैट्रिक्स में स्तर 13 (123100-215900 रुपये) में परमाणु ऊर्जा विभाग के वैज्ञानिक अधिकारियों या इंजीनियरों के द्वारा; या</p> <p>(ख) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्रों के अधिकारी:</p> <p>(i) मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हो, या</p> <p>(ii) मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स स्तर 12 (78800-209200 रुपये) में या समतुल्य नियमित आधार पर पद पर नियुक्ति के पश्चात् पांच वर्ष की सेवा की हो; और</p> <p>(ग) निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखता हो, -</p> <p>(i) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री, और</p> <p>(ii) मूल काडर या विभाग में प्रापण या सामग्री प्रबंधन में अनुभव।</p> <p>टिप्पण 1 : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p>टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर</p>	<p>होंगे:</p> <p>(1) सचिव, परमाणु ऊर्जा विभाग - अध्यक्ष;</p> <p>(2) निदेशक, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र - सदस्य;</p> <p>(3) अपर सचिव/संयुक्त सचिव परमाणु ऊर्जा विभाग - सदस्य;</p> <p>(4) निदेशक क्रय एवं भंडार - सदस्य;</p> <p>(5) सचिव, परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा विभाग के बाहर से नामनिर्दिष्ट संबंधित विषय विशेषज्ञ - सदस्य</p>	
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

प्रतिनियुक्ति की अवधि, साधारणता तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।		
टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन की प्राप्ति की तारीख के समापन पर छप्पन वर्ष से अधिक नहीं हो।		

[फा. सं. 19/4/2021-CCS/2555]

ए आर सुले, अपर सचिव

DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY**NOTIFICATION**

Mumbai, the 20th February, 2025.

G.S.R. 142(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Department of Atomic Energy (Purchase and Stores) Recruitment Rules, 2013 in so far as they relate to the posts of Purchase Officer, Stores Officer, Deputy Director, Purchase and Stores and the Department of Atomic Energy (Purchase and Stores) Recruitment Rules, 2019 in so far as they relate to the posts of Junior Purchase Assistant and Junior Stores Keeper, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Junior Purchase Assistant, Junior Store Keeper, Purchase Officer, Stores Officer, Deputy Director, Purchase and Stores and Joint Director, Purchase and Stores in the Department of Atomic Energy, namely:-

1. Short title and commencement. - (1) These rules may be called the Department of Atomic Energy (Purchase and Stores), Group 'C' and 'A', Recruitment Rules, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application. – These rules shall apply to the posts as specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. Number of posts, classification and level in pay matrix. - The number of the said posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

4. Method of recruitment, age limit, qualifications, etc. - The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

5. Disqualification. - No person,-

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt such person from the operation of this rule.

6. Initial Constitution.- The incumbents holding the post of Joint Director, Purchase and Stores shall be deemed to have been appointed in accordance with the provisions of these rules and their regular and continuous service shall be counted for the purpose of probation, qualifying service for promotion, confirmation and pension.

7. Power to relax. - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

8. Saving. - Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the other backward classes, ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of posts.	Number of posts.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Junior Purchase Assistant.	100* (2025) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-4 in the pay matrix (Rs.25500-81100).	Not applicable.

Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.
(6)	(7)
Between 18 and 27 years. (The upper age-limit is relaxable for departmental candidate upto forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government) Note 1: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates and not the closing date prescribed for those residing in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub- Division of Chamba District of Himachal Pradesh and the Union territories of Andaman and Nicobar Islands, Ladakh and Lakshadweep.	Essential: (a) Graduate in Science with 60 per cent. marks; or (b) Commerce graduate with 60 per cent. marks; or (c) Diploma in Mechanical Engineering or Electrical Engineering or Electronics or Computer Science with 60 per cent. marks from Government recognised university or institute.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.

(8)	(9)	(10)
Not applicable.	One year. Note: On completion of medical examination, selected candidates shall be inducted as a Stipendiary Trainee for a period of six months. Stipend shall be a fixed amount equal to the minimum pay in level-4 (Rs.25500-81100) of pay matrix without any allowances and upon successful completion of Training, trainees shall be considered for absorption in the post of Junior Purchase Assistant depending on the performance during the period of Training.	By direct recruitment.

In case of recruitment by promotion or deputation / absorption, grades from which promotion or deputation / absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of: 1. Deputy Director, Director of Purchase and Stores – -Chairperson; 2. Deputy Controller of Accounts or Accounts Officer, Directorate of Purchase and Stores – Member; 3. Purchase Officer, Directorate of Purchase and Stores – Member; 4. Stores Officer, Directorate of Purchase and Stores – Member; 5. Administrative Officer – III, Directorate of Purchase and Stores – Member; and 6. Scientific Officer or Engineer grade 'D' or above from one of the constituent units of Department of Atomic Energy – -Member.	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2. Junior Store Keeper.	220* (2025) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Ministerial.	Level-4 in the pay matrix (Rs.25500-81100).	Not applicable.

(6)	(7)
<p>Between 18 and 27 years. (The upper age-limit is relaxable for departmental candidate upto forty years in accordance with the instruction or order issued by the Central Government)</p> <p>Note 1: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of application from candidates and not the closing date prescribed for those residing in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh and the Union territories of Andaman and Nicobar Islands, Ladakh and Lakshadweep.</p> <p>Note 2.- In the case of recruitment made through the Employment Exchange the crucial date for determining the age-limit shall be the last date up to which the Employment Exchange is asked to submit the names.</p>	<p>Essential:</p> <p>(a) Graduate in Science with 60 per cent. marks; or (b) Commerce graduate with 60 per cent. marks; or (c) Diploma in Mechanical Engineering or Electrical Engineering or Electronics or Computer Science with 60 per cent. marks from Government recognised university or institute.</p>

(8)	(9)	(10)
Not applicable.	<p>One year.</p> <p>Note: On completion of medical examination, selected candidates shall be inducted as a Stipendiary Trainee for a period of six months. Stipend shall be a fixed amount equal to the minimum pay in level-4 (Rs.25500-81100) of pay matrix without any allowances and upon successful completion of Training, trainees shall be considered for absorption in the post of Junior Store Keeper depending on the performance during the period of Training.</p>	By direct recruitment.

(11)	(12)	(13)
Not applicable.	<p>Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:</p> <p>(1) Deputy Director, Director of Purchase and Stores – Chairperson;</p> <p>(2) Deputy Controller of Accounts or Accounts Officer, Directorate of Purchase and Stores – Member;</p> <p>(3) Purchase Officer, Directorate of Purchase and Stores – Member;</p>	Not applicable.

	<p>(4) Stores Officer, Directorate of Purchase and Stores – Member;</p> <p>(5) Administrative Officer – III, Directorate of Purchase and Stores – Member; and</p> <p>(6) Scientific Officer or Engineer grade 'D' or above from one of the constituent units of Department of Atomic Energy – Member.</p>	
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3. Purchase Officer.	18* (2025) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non Ministerial.	Level-11 in the pay matrix (Rs.67700-208700).	Selection.

(6)	(7)
Not applicable.	Not applicable.

(8)	(9)	(10)
Not applicable.	One year.	By promotion failing which by deputation.

(11)	(12)	(13)
<p>Promotion: Assistant Purchase Officer in level-8 in the pay matrix (Rs.47600-151100) with six years of regular service in the grade.</p> <p>Note 1: The crucial date for computing the period of eligibility for promotion shall be 1st January of the vacancy year.</p> <p>Note 2: Eligible officers are required to appear for written examination followed by interview and the marks obtained in the written examination shall be taken into consideration by the Departmental Promotion Committee while recommending the names for empanelment.</p> <p>Note 3: Promotees shall undergo Training arranged by the Administrative Training Institute, Department of Atomic Energy during the period of probation.</p> <p>Note 4: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the</p>	<p>Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:</p> <p>(1) Additional Secretary or Joint Secretary in-charge of Purchase and Stores- Chairperson;</p> <p>(2) Director, Directorate of Purchase & Stores- Member;</p> <p>(3) Controller, Bhabha Atomic Research Centre- Member;</p> <p>(4) Group A Officer of Purchase and Stores cadre from other Government Department- Member</p>	Not applicable.

<p>requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service, or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p>Deputation: Officers of the Central Government or State Governments or Union territory Administrations: (a)(i) holding analogous post on a regular basis in the Parent Cadre or Department; or (ii) with six years of regular service rendered after appointment to the post on a regular basis in level-8 in the pay matrix (Rs.47600-151100) or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the following educational qualifications and experience, namely:- (i) Bachelor's Degree from a recognised University; and (ii) experience in procurement or material management in the parent cadre or Department.</p> <p>Note 1: The Departmental Officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p>Note 2: The period of deputation including the period of deputation in another <i>ex-cadre</i> post, held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation of department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years.</p> <p>Note 3: The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.</p>	<p>Group 'A' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Additional Secretary or Joint Secretary in-charge of Purchase and Stores- -Chairperson; 2. Director, Directorate of Purchase & Stores- -Member; 3. Controller, Bhabha Atomic Research Centre- -Member; 4. Group A Officer of Purchase and Stores cadre from other Government Department- - Member. 	
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4. Stores Officer.	13* (2025) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non Ministerial.	Level-11 in the pay matrix (Rs.67700-208700).	Selection.
(6)		(7)		
Not applicable.		Not applicable.		

(8)	(9)	(10)
Not applicable.	One year.	By promotion failing which by deputation.

(11)	(12)	(13)
<p>Promotion: Assistant Stores Officer in level-8 in the pay matrix (Rs.47600-151100) in the pay matrix with six years of regular service in the grade.</p> <p>Note 1: The crucial date for computing the period of eligibility for promotion shall be 1st January of the vacancy year.</p> <p>Note 2: Eligible officers are required to appear for written examination followed by interview and the marks obtained in the written examination shall be taken into consideration by the Departmental Promotion Committee while recommending the names for empanelment.</p> <p>Note 3: Promotees shall undergo Training arranged by the Administrative Training Institute, Department of Atomic energy during the period of probation.</p> <p>Note 4: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p>Deputation: Officers of the Central Government or State Governments or Union territory Administrations: (a)(i) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) with six years of regular service rendered after appointment to the post on a regular basis in level-8 in the pay matrix (Rs.47600-151100) or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the following educational qualifications and experience, namely:- (i) Bachelor's Degree from a recognised University; and (ii) experience in procurement or material management in the parent cadre or Department.</p> <p>Note 1: The Departmental Officers in the feeder</p>	<p>Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:</p> <p>(1) Additional Secretary or Joint Secretary in-charge of Purchase and Stores - Chairperson;</p> <p>(2) Director, Directorate of Purchase and Stores- -Member;</p> <p>(3) Controller, Bhabha Atomic Research Centre- - Member;</p> <p>(4) Group A Officer of Purchase and Stores cadre from other Government Department - Member.</p> <p>Group 'A' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:</p> <p>1. Additional Secretary or Joint Secretary in-charge of Purchase and Stores - - Chairperson;</p> <p>2. Director, Directorate of Purchase and Stores- -Member;</p> <p>3. Controller, Bhabha Atomic Research Centre -Member;-</p>	Not applicable.

<p>category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p>Note 2: The period of deputation including the period of deputation in another <i>ex-cadre</i> post, held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation of department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years.</p> <p>Note 3: The maximum age-limit for appointment shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.</p>	<p>4. Group A Officer of Purchase and Stores cadre from other Government Department-Member.</p>	
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5. Deputy Director, Purchase and Stores.	7* (2025) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non Ministerial.	Level-12 in the pay matrix (Rs.78800-209200).	Selection.

(6)	(7)
Not applicable.	Not applicable.

(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	By promotion failing which by deputation.

(11)	(12)	(13)
<p>Promotion: Purchase Officer or Stores Officer in level-11 in the pay matrix (Rs.67700-208700) in the pay matrix with five years of regular service in the grade.</p> <p>Note 1: The crucial date for computing the period of eligibility for promotion shall be 1st January of the vacancy year.</p> <p>Note 2: Selection shall involve interview of the candidates.</p> <p>Note 3: Promotees shall undergo Training arranged by the Administrative Training Institute, Department of Atomic Energy on appointment.</p> <p>Note 4: The inter-se seniority, while preparing the panel by the Departmental Promotion Committee shall be based on the eligibility of feeder cadre officers.</p> <p>Note 5: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility</p>	<p>Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:</p> <p>(1) Secretary, Department of Atomic Energy – Chairperson;</p> <p>(2) Director, Bhabha Atomic Research Centre – Member;</p> <p>(3) Additional Secretary or Joint Secretary, Department of Atomic Energy – Member;</p> <p>(4) Director, Purchase and Stores – Member;</p> <p>(5) Expert in the relevant Discipline to be nominated by Secretary, Department of Atomic Energy – Member.</p>	Not applicable.

<p>service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service, or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p>Deputation:</p> <p>(a) Scientific Officers or Engineers in the Department of Atomic Energy in level 12 in the pay matrix (Rs.78800-209200); or</p> <p>(b) Officers of the Central Government or State Governments or Union territory Administrations:</p> <p>(i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; or</p> <p>(ii) with five years' regular service rendered after appointment to the post on a regular basis in level-11 in the pay matrix (Rs. 67700-208700) or equivalent in the parent cadre or department; and</p> <p>(c) possessing the following educational qualifications and experience, namely:-</p> <p>(i) Bachelor's Degree from a recognised University; and</p> <p>(ii) experience in procurement or material management in the parent cadre or Department.</p> <p>Note 1: The Departmental Officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p>Note 2: The period of deputation including the period of deputation in another <i>ex-cadre</i> post, held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation of department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years.</p> <p>Note 3: The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.</p>		
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6. Joint Director, Purchase and Stores.	1* (2025) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non Ministerial post.	Level-13 in the pay matrix (Rs.123100-215900).	Selection.

(6)	(7)
Not applicable.	Not applicable.

(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	By promotion failing which by deputation.

(11)	(12)	(13)
<p>Promotion: Deputy Director, Purchase and Stores in level-12 in the pay matrix (Rs.78800-209200) with five years of regular service in the grade.</p> <p>Note 1: The crucial date for computing the period of eligibility for promotion shall be 1st January of the vacancy year.</p> <p>Note 2: Selection shall involve interview of the candidates.</p> <p>Note 3: Promotees shall undergo Training arranged by the Administrative Training Institute, Department of Atomic Energy on appointment.</p> <p>Note 4: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service, by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p>Deputation: (a) Scientific Officers or Engineers in the Department of Atomic Energy in level 13 in the pay matrix (Rs.123100-215900); or (b) Officers from the Central Government or State Governments or Union territory Administrations: (i) holding analogous post on a regular</p>	<p>Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:</p> <p>(1) Secretary, Department of Atomic Energy – Chairperson;</p> <p>(2) Director, Bhabha Atomic Research Centre – Member;</p> <p>(3) Additional Secretary or Joint Secretary, Department of Atomic Energy – Member;</p> <p>(4) Director, Purchase and Stores – Member;</p> <p>(5) Expert in the relevant Discipline to be nominated by Secretary, Department of Atomic Energy – Member.</p>	Not applicable.

<p>basis in the parent cadre or Department; or (ii) with five years service rendered after appointment to the post on a regular basis in level-12 in the pay matrix (Rs. 78800-209200) or equivalent in the parent cadre or department; and (c) possessing the following educational qualifications and experience, namely:- (i) Bachelor's Degree from a recognised University; and (ii) experience in procurement or material management in the parent cadre or Department.</p> <p>Note 1: The Department Officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p>Note 2: The period of deputation including the period of deputation in another <i>ex-cadre</i> post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation of department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years.</p> <p>Note 3: The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.</p>		
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

[F. No. 19/4/2021-CCS/2555]
A. R. SULE, Addl.Secy.